न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–शिवपुरी

1. निन्दर कौर पत्नी रिचपाल सिंह
2. रामश्री बाई पत्नी प्रताप सिंह

निवासीगण – निजामपुर तहसील नरवर जिला – शिवपुरी (म.प्र.) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

सुखविन्दर सिंह पुत्र चरण सिंह सिक्ख निवासी ग्राम मगरौनी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.....अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत–1 नरवर द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/2014–15/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 248 रकवा 0.08, सर्वे क्रमांक 249 रकवा 0.42 कुल रकवा 50 है0 मे से 0.19 के क्रेता आवेदक क्रमांक 1 है और यही भूमि उनके स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य की भूमि है इसी प्रकार भूमि सर्वे क्रमांक 251 रकवा 0.310 आवेदक क्रमांक 2 के स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य की भूमि है तथा भूमि सर्वे क्रमांक 251 रकवा 0.31 अनावेदक सुखविन्दर की भूमि है।
2. यहकि, अनावेदक सुखविन्दर द्वारा उपरोक्त भूमि सर्वे क्रमांक 251 रकवा 0.31 का सीमांकन कराये जाने हेतु न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत–1 नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जो राजस्व निरीक्षक वृत–1 द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/2014–15/अ–12 पर पंजीबद्ध कर सीमांकन कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही में आवेदकगण को किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना पत्र न तो जारी किया गया और न ही उन्हे प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 30.06.2015 नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3460–तीन/2015 जिला शिवपुरी

निन्दर कौर पत्नी रिचपाल सिंह आदि विरूद्ध सुखविन्दर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–11–2015	आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक वृत 1, नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 54/2014–15/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदक ने ग्राम निजामपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 251 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 248 एवं 249 है। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के पूर्व आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना जारी नहीं की और आवेदक की पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की। मेड़िया कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन नहीं किया गया है। भू–राजस्व संहिता में बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही वर्षाकाल के दौरान स्थगित कर दी जाती है, परन्तु राजस्व निरीक्षक इन प्रावधानों का पालन किये बिना किये सीमांकन आदेश को निरस्त किया जाये। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न तहसील न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा	

प्रकरण कमांक निगरानी 3460–तीन/2015 जिला शिवपुरी

निन्दर कौर पत्नी रिचपाल सिंह आदि विरूद्ध सुखविन्दर सिंह

प्रस्तुत सीमांकन आवेदन के कम में राजस्व निरीक्षक ने 26–6–15 को सीमांकन किया गया जिसमें मौके पर चोहद्दी कायम कर पत्थर के सीमा चिन्ह कायम कराये गये। स्थल पंचनामा की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण द्वारा किसी प्रकार से कोई भूमि अतिकमण किये जाने का उल्लेख नहीं किया है। स्थल पंचनामे पर मौजूद पंचों के हस्ताक्षर हैं। आवेदिका निन्दर कौर को सर्वे कमांक 249, 248 के भूमिस्वागी स्वत्व का खसरे की प्रति 2014–15 प्रस्तुत की, परन्तु उसमें उसका हिस्सा 19/50 बताया गया है। आवेदिका राश्रीबाई का सर्वे कमांक 251 के भूमिस्वामी स्वत्व का खसरा वर्ष 2007–2008 का है, उक्त सर्वे नम्बर की वर्तमान स्थिति प्रकट नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदकों द्वारा अपनी भूमि का नक्शा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि आवेदकगण सीमांकित भूमि का सरहदी कास्तकार है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण सीमांकन से किस प्रकार प्रभावित है यह दर्शाने में भी असफल रहा है। आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितयों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन प्रतीत होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर